18/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट्स श्री हनुमानसिंह भाटी एवं वकील रेस्पोडेंट्स श्री औंकारसिंह, श्री लाधूराम पूनिया उपस्थित। उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने निवेदन किया कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत पारित रास्ते के आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश पारित होने के समय आराजी खसरा नं. 362 पक्षकारान् की सामलाती आराजी रही है। रेस्पोडेंट संख्या एक से छः द्वारा विचारण न्यायालय में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 30 जनवरी 2023 को डिक्री हो चुका है। उक्त दावे में हस्तगत प्रकरण में पारित रास्ते को ही पक्षकारान् के आवागमन के लिए सरकारी रास्ता रखा गया है, जिसके खसरा नं. 362/1 है। अतः अपीलाधीन रास्ते को ही विभाजन के दावे में कटाणी रास्ता रखे जाने से हस्तगत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा फार्म संख्या तीन के साथ प्रस्तुत विचारण न्यायालय के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2023 एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक खसरा नं. 362 के खातेदारान् के मध्य विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा दिनांक 30 जनवरी 2023 को निर्णित हुआ है जिसमें अपीलाधीन रास्ते को ही पक्षकारान् के आवागमन हेतु कटाणी/सामलाती रास्ता रखा गया है। उभय पक्ष उक्त रास्ते हेतु सहमत होने से हस्तगत अपील सारहीन हो चुकी है। लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। 13.X.23 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ...